आरई-3

वित्त समिति की बैठक के लिए विनियम

[दिनांक 15.11.2014 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 21वीं बैठक में प्रस्ताव सं EC21.5.3 द्वारा अनुमोदित]

(सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26 तथा संविधि 17 के अंतर्गत)

1. सामन्यत: वित्त समिति की बैठक एक कैलंडर वर्ष में कम से कम तीन बार होगी.

2. कुलपति वित्त समिति के अध्यक्ष होंगे और वित्त अधिकारी वित्त समिति के सचिव होंगे.

3. वित्त अधिकारी कुलपति के परामर्श से, जो वित्त समिति के अध्यक्ष हैं, वित्त समिति की बैठक बुलाएँगे.

4. अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार वित्त अधिकारी बैठक के कम से कम 21 दिन पहले बैठक की तिथि एवं स्थान की सूचना देते हुए बैठक की सूचना जारी करेंगे. बैठक की एजेंडा बैठक के आयोजन के सात दिन पहले वितरित किए जाएंगे. सदस्यों के पास एजेंडा ईमेल द्वारा भेजे जाने पर वितरित किया जाना समझा जाएगा.

   परंतु, अध्यक्ष ऐसे मुद्दों को जो विचार करने के लिए अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण हो, उसी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत कर सकेंगे. अध्यक्ष अपने विवेकानुसार बैठक में चर्चा के लिए वितरित की जा चुकी किसी भी विषयों को वापस ले सकते हैं तथा किसी भी विषयों को अगली बैठक के लिए स्थगित कर सकते है.

5. अध्यक्ष के पास किसी भी सदस्यों को ऐसे मुद्दों को जो विचार करने के लिए अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण हो, उसी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति देने का अधिकार होगा. अध्यक्ष अपने विवेकानुसार बैठक में चर्चा के लिए वितरित की जा चुकी किसी भी विषयों को वापस ले सकते हैं तथा किसी भी विषयों को अगली बैठक के लिए स्थगित कर सकते है.

6. वित्त समिति के पाँच सदस्य वित्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति बनाएँगे.

   जहां वित्त समिति की बैठक का विधिवत आयोजन किया गया है और बैठक के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के अंदर अगर गणपूर्ति पूरा नहीं होता है, तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय के लिए तथा अध्यक्ष के निर्णय से किसी अन्य दिन और किसी अन्य समय और स्थान पर आयोजित करने के लिए स्थगित की जाएगी. स्थगित बैठक की सूचना वित्त समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाएगी. अगर स्थगित बैठक में बैठक के निर्धारित समय से आधे घंटे के अंदर गणपूर्ति पूरा नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य गणपूर्ति बना सकेंगे.

   अगर बैठक के दिन एजेंडा के किसी मदों पर विचार विमर्श अनिर्णीत रहें, तब बैठक अगले दिन भी जारी रहेगी अथवा किसी अन्य दिन को बैठक के आयोजन के लिए अध्यक्ष के निर्णय ले सकते हैं. जारी बैठक के लिए किसी प्रकार के गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी और अध्यक्ष की अनुमति के अलावा एजेंडा पहले वितरित किए जाने पर ही उस पर विचार विमर्श के लिए प्रतिबंधित होगा.

7. वित्त समिति की बैठक के कार्य संचालन अध्यक्ष द्वारा विनियमित होगा.

8. बैठक के आयोजन के दौरान प्रत्येक सदस्य को बैठक की मर्यादा का पालन करना होगा और उनकी चर्चा विषय के प्रासंगिकता तक सीमित होगी. जबकि, अध्यक्ष द्वारा उचित समझे जाने पर निर्णय लेने के लिए कोई मुद्दा उठा सकते हें.

9. समान्यत: सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाएंगे. जबकि, अगर स्थिति की मांग हो, अध्यक्ष मतदान के लिए एक संकल्प ले सकते हैं और निर्णय बहुमत के पक्ष में होगा. मामला अनिर्णीत रहने पर अध्यक्ष का मत निर्यायक मत होगा.
   वित्त समिति का एक सदस्य अगर वित्त समिति के निर्णयों से सहमत नहीं होता है तो उसे असंतोष प्रकट करने का अधिकार होगा.

10. जब कभी वित्त समिति द्वारा किसी मामले पर विचार किया जाना होता है, किन्तु तुरंत बैठक का आयोजन करना समीचीन नहीं होता, तो अध्यक्ष परिचालन के माध्यम से वित्त समिति के सदस्यों के अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगे. वैसी स्थिति में व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ मसौदा संकल्प तथा उससे संबन्धित कागजातों एवं दस्तावेजों की प्रति भेजी जाएगी और अगर वित्त समिति के अधिक संख्यक सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते है, तो उस मसौदा संकल्प को अनुमोदित समझा जाएगा.

11. बैठक के कार्यवृत्त वित्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसे अध्यक्ष के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे. अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होने के बाद कार्यवृत्त को सदस्यों में उनकी टिप्पणी के लिए वितरित किया जाएगा. अगर सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त होती है, तो वित्त समिति की अगली बैठक में उन टिप्पणियों की पुष्टि होने से पहले उन पर विचार किया जाएगा.

12. इन विनियमों के संशोधन करने, निरस्त करने अथवा जोड़ने की क्षमता कार्यकारी परिषद में निहित होगी.

13. ये विनियम वित्त समिति की संस्तुति पर कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगे.